कार्यालय नगर पालिका परिषद मिलक (रामपुर)

पत्रांक – 17/न0पा0परि0मिलक/2019–20 दिनांक :– 20-12-19

भूमि उपयोग प्रमाण–पत्र

नगर पालिका परिषद द्वारा निरीक्षण के आधार पर नगरिया तहसील मिलक जनपद रामपुर के गाटा संख्या– 372 एवं 373 का कुल रकबा 5060 डिसमिल है।

उपरोक्त भूमि श्री गुरू रामदास जी एजुकेशनल इण्डस्ट्रीयल एण्ड कल्चरल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खालसा कॉलेज ऑफ फार्मेसी की है। इसे शैक्षिक कार्य हेतु उपयोग में किया जा रहा है।

20-12-2019
नगर पालिका परिषद
मिलक (रामपुर)

सत्य प्रतिलिपि

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :रामपुर,तहसील :मिलक
वाद संख्या :-00793/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201813590200793
खालसा डिग्री कालेज संचालित दवारा श्री गुरु रामदास जी ऐजुकेशनल इण्डस्टीयल एण्ड कल्चरल डवलपमेन्ट ऐसोसिएशन टस्ट दवारा प्रबन्धक श्री सन्तोख सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

खालसा डिग्री कालेज संचालित द्वारा श्री गुरू रामदास जी ऐजूकेशनल इण्डस्ट्रीयल एण्ड कल्चरल डवलपमेन्ट ऐसोसिएशन ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक श्री संन्तोख सिंह खालसा पुत्र जागन सिंह।

बनाम

सरकार।

संशोधित निर्णयादेश

प्रस्तुत वाद में आदेश दिनांक 12.04.2018 के अन्तर्गत आराजी निजाई को कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया गया था तथा परवाना अमल दरामद भी जारी किया गया। परन्तु वादी द्वारा दिनांक 16.04.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया गया कि उक्त पारित आदेश में वादी/संस्था का पूरा नाम अंकित नहीं है, जबकि परवाने में वादी/संस्था का नाम पूर्ण है।

प्रस्तुत वाद वादी खालसा डिग्री कालेज द्वारा प्रबन्धक श्री सन्तोख सिंह खालसा पुत्र जागन सिंह, निवासी मौ0 बाजार कलां, बिलासपुर, जिला रामपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के आधार पर आरम्भ हुआ है, जिसमें अवगत कराया गया है कि आराजी स्थित ग्राम नगरिया, तहसील मिलक, जिला रामपुर के खाता संख्या 144 के गाटा संख्या 372, रकबा 0.255 है0 व खाता संख्या 241, गाटा संख्या 373, रकबा 0.251 है0 में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। वादी इस आराजी में विधालय खोलना चाहता है। इस कारण वादी इस भूमि को कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित कराना चाहता है। वादी के प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार मिलक से कराकर आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार मिलक ने अपनी जांच आख्या दिनांक 02.04.2018 में अवगत कराया है कि उक्त दर्शित भूमि में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आराजी का सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन 33,39,600.00 रू0 का एक प्रतिशत 33,396.00 रू0 देय है। आराजी धारा 132 की नहीं है तथा आराजी से सम्बन्धित कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गई।

तहसीलदार मिलक की आख्या से संतुष्ट होकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में बताया कि वादी उक्त आराजी का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार व काबिज है। इस आराजी में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य, उधानीकरण, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि का कोई कार्य नही किया जा रहा है। इस भूमि पर वादी खालसा डिग्री कालेज की स्थापना करना चाहता है। वर्तमान में इस भूमि पर प्रस्तावित विधालय के निर्माण हेतु बनवाये जाने वाले कमरों पर लिन्टर पडने का कार्य प्रगति पर है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। इस भूमि से सम्बन्धित कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इस भूमि का प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजन हेतु किया जाना है। तहसीलदार मिलक ने भी अपनी आख्या में भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। विद्वान अधिवक्ता ने भूमि के व्यवसायिक

क्रमशः 2 पर...